संख्या: ITBP/Grain Shop/Supply of Fresh Veg/Fruits & Paneer Tender/2021-22- 1953
कार्यालय उप महानिरीक्षक (देहरादून), क्षेत्रीय मुख्यालय (देहरादून),
भा.ति.सी.पुलिस बल, पत्राः सीमाद्वार, देहरादून (उत्तराखण्ड)
गृह मंत्रालय/भारत सरकार
पो0ओ0: सीमाद्वार, जिला–देहरादून(उत्तराखण्ड)

दिनॉक- 26-03-21

ई0–निविदा आमंत्रण सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय (देहरादून) भा0ति0सी0 पुलिस, पत्रालय, देहरादून (उत्तराखण्ड) द्वारा ग्रेनशॉप के माध्यम से भोजनालयों को ताजा सब्जी/फल एवं पनीर की आपूर्ति हेतू टू–बिड सिस्टम (तकनीकी एवं कॉमर्सियल बिड) के तहत ऑन–लाईन निविदायें आमन्त्रित की जाती है:–

1 प्रथम पक्ष: दिनांक–01.05.21 से 30.09.21 तक (पॉच माह के लिए)

क0सं0	प्रेषिती का नाम	पनीर ताजा अनु0 मांग (किग्रा0 में)	तजा सब्जी अनु0 मांग (किग्रा0 में)	ताजा फल अनु0 मांग (किग्रा0 में)
1	उपमहानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय, (देहरादून)	2000	28,650	14,180

विनिर्देश और निविदा अनुसूची के अनुसार अन्य विवरण:–

2. एफ0ओ0आर0–गंतव्य स्थान:– फर्म द्वारा सामान (स्टोर) प्रेषिती (Consignee) को गंतव्य स्थान पर अपने भाड़े के आधार पर पहुँचाया जायेगा। प्रेषिती (Consignee) के का पता निम्नवत् है:–

क0सं0	प्रेषिती (Consignee) का नाम एवं पता
1	उपमहानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय, (देहरादून) भा0ति0सी0 पुलिस,, जिला देहरादून (उत्तराखण्ड)

3. यदि इच्छुक लोक संघ इकाई/सहकारी संस्था/फर्म/कम्पनियॉ इत्यादि उपरोक्त शर्तों से संतुष्ट हो तो विर्निदेशित वस्तुओं की आपूर्ति के अनुरूप अपनी निविदायें समस्त दस्तावेजों सहित प्रेषित करेंगे।
4. फर्म द्वारा वेबसाईट पर पंजीकरण कर निविदा दस्तावेजों एवं अन्य सूचनाये सैन्ट्रल पब्लिक पोर्टल की वैबसाईट (http:/eprocure.gov.in/e.procure/app) पर नि:शुल्क देखी जा सकती है।
5. निविदायें ऑनलाईन जमा की जानी हैं, जिसके लिए डिजिटल सिगनेचर सर्टिफिकेट (DSC) को प्राधिकृत एजेंसी या किसी अन्य योग्य बिक्रीकर्ता से यथा–शीघ्र प्रमाणित (इनक्रिप्टेड) करवाया जाना आवश्यक है।

6. **निविदा से संबंधित अन्य आवश्यक तिथियों का विवरण:–**

क0सं0	तिथिवार विवरण	दिनॉक	समय
1	निविदा प्रकाशित होने की तिथि	26.03.21	1600
2	दस्तावेज डाऊनलोड प्रारम्भ की तिथि	26.03.21	1730
3	दस्तावेज डाऊनलोड समाप्ति की तिथि	15.04.21	1600
4	निविदायें प्रस्तुत करने की प्रारम्भ की तिथि	27.03.21	1800
5	आन लाईन निविदायें जमा करने की अंतिम तिथि	15.04.21	1600
6	तकनीकि बिड खोलने की तिथि	16.04.21	1600

7. ई0–टैण्डरिंग से संबंधित दस्तावेजों को निम्नानुसार अपलोड किया जायेगा :–

(ए) **'तकनीकी बिड'**–निम्नानुसार निविदा से संबंधित दस्तावेजों की स्कैनड प्रतियॉ सी.पी.पी. पोर्टल (CPP Portal http://eprocure.gov.in/eprocure/app.) पर अपलोड करने होगी होगीं।

1- पैन कार्ड तथा वर्तमान आयकर रिटर्न की पिछले तीन वर्षो की स्कैनड प्रति (वित्तीय वर्ष 2018–19, 2019–20, 2020–21)
2- पंजीकरण प्रमाण–पत्र की स्कैनड प्रति।
3- जी.एस.टी. प्रमाण पत्र ।
4- एफ.एस.एस.ए.आई का प्रमाण पत्र जिसमें निविदा में प्रकाशित वस्तुओं की आपूर्ति करने के संबंध में स्पष्ट उल्लेख हो ।
5- निविदा संबंधी दस्तावेजों को भरने के बाद यथावत हस्ताक्षर सहित स्कैंड कापी अपलोड करनी होगीं।
6- अन्य कोई और उपयुक्त दस्तावेज जो फर्म जमा करना चाहे।

(ब) वित्तीय बोली निर्धारित बी0ओ0क्यू0 (Bill of Quantity) में आईटम वाईज कीमत की दरें संलग्न करें।

8. वह फर्म जो पात्रता की शर्तों को पूर्ण करने में असमर्थ होगी उसकी निविदा रद्द कर दी जायेगी।

9. आवश्यकता पड़ने पर मोलभाव/स्पष्टीकरण के लिये निविदा फाईनालाईजेशन समिति अथवा निविदा प्रोससिंग समिति जिम्मेवार होगी।

10. यदि निविदा खोलने के दिन अवकाश हो तो निविदा अगले कार्यदिवस में उसी समय खुलेगी।

11. **ई0 निविदा हेतु निर्देशः–**

i) निविदा केवल ई– प्रोक्योरमेंट पोर्टल के माध्यम से जमा किये जायेंगे। ई0 आवेदन पर ही विचार किया जायेगा।

ii) जमा होने के तिथि तक बिडस में किसी भी प्रकार के बदलाव/शुद्विकरण के लिये वैबसाईट देखते रहेंगे ओर उसी के अनुसार बिडर्स अपनी बिड दस्तावेजों में सुधार करेंगे।

iii) बिड एक बार अपलोड हो जाने के उपरान्त पुनः दोबारा अपलोड /जमा अथवा वापस नहीं की जायेगी ।

iv) निविदा/बोली के लिये पात्रता शर्तों के मिलान न होने की स्थिति में बोली प्राप्त तिथि को ही निरस्त कर दी जायेगी।

v) निविदादाता अपने बिड आनलाईन और ईलेक्ट्रोनिक प्रारूप में डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अपलोड करेंगे। बिना डिजिटल हस्ताक्षर के निविदा स्वीकार्य नहीं होगी। कोई भी निविदा प्रस्ताव भौतिक रूप /दस्तावेजों के रूप में स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

vi) सारणी के पैरा संख्या 06 में उल्लेखित तिथि एवं समय के अनुसार बिड खोली जायेगी।

vii) निविदा/बोली ऑनलाईन निविदाओं को प्रेषित करने से पूर्व निविदाकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि निविदा से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियां निविदा के साथ संलग्न कर दी गई है।

viii) फर्म द्वारा निविदा को ऑनलाईन प्रेषित करने में होने वाली देरी के लिए विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

ix) निविदाकार को निविदा से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाओं को पूर्णरूप से भरा जायेगा और तत्पश्चात ऑन लाईन प्रस्तुत किया जायेगा।

x) निविदा नोटिस के अनुसार ऑन लाईन स्कैन्ड कर प्रस्तुत किये गये निविदा दस्तावेज एवं बयाना राशि का विवरण एक समान होना चाहिए अन्यथा निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।

xi) फर्म द्वारा स्वयं को (http:/eprocure.gov.in/eprocure/app) की वैबसाइट पर पंजीकरण करते हुए अपनी यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त की जायेगी।

xii) संपूर्ण निविदा पूर्ण प्रकिया को उक्त वैबसाइट के माध्यम से ऑन लाईन पूर्ण किया जायेगा।

xiii) फर्मो को सलाह दी जाती है कि वे ई0टोकन/डिजिटल हस्ताक्षर को किसी प्राधिकृत संस्था अथवा योग्य विकेता से ही प्राप्त करें।

xiv) ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने से पहले निविदाकार यह सुनिश्चित कर लें कि सभी आवश्यक निविदा दस्तावेजों की स्कैन्ड प्रतियों को अपलोड कर दिया गया है।

xv) वस्तुओं की मॉग आवश्यकतानुसार निविदाकार को साप्ताहिक तौर पर तथा मॉग कर्ता द्वारा विशेष दिवसों जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, वाहिनी दिवस या अन्य कोई विशेष दिवस में सप्ताह में दो बार मॉग करने पर आपूर्ति करना होगा । निविदाकार को मॉग की गई वस्तुओं की आपूर्ति आदेश प्राप्त होने के अन्दर 07 दिनों के अन्दर आपूर्ति करना होगा, यदि निविदाकार 07 दिनों में आपूर्ति नही करता है तो मॉगकर्ता मॉग की गई सामाग्री की खरीद स्थानीय बाजार से खरीद करने के लिए स्वतंत्र होगा और खरीद पर आये अतिरिक्त खर्च निविदाकार से वसूल किया जायेगा ।

xvi) आपूर्ति की गई वस्तुओं का निरीक्षण मॉगकर्ता द्वारा समय–2 पर नियुक्त समिति/ समिति में नामित अधिकारी, अधिनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जायेगा तथा उन्हें स्टोर की कुछ अथवा सभी वस्तुओं के सही दशा में न होने पर सम्पूर्ण स्टोर को निरस्त करने की शक्तियॉ प्रदत होगी । निविदाकार को निरस्त/रदद की गई वस्तुओं को तुरन्त वहॉ से हटाना होगा, यदि नही हटाते हैं तो उसे निविदाकार की खरीद राशि पर नष्ट (destroyed) किया जायेगा अर्थात उसकी सम्पूर्ण राशि निविदाकार को वहन करनी होगी ।

xvii) आपूर्ति किये जाने वाले स्टोर (ताजा सब्जी, ताजा फल एवं पनीर) प्रथम पक्ष दिनॉक 01.05.2021 से 30.09. 2021 तक का विवरण एन.आई.टी. के साथ संलग्न है ।

xviii) प्रोक्योरमेंट मैनुअल–2017 के नियम 7.5.3 के अनुसार टेण्डर अवार्ड करते समय केता खरीद किये जाने वाले स्टोर का 25 प्रतिशत कम या अधिक मात्रा तय की गई कीमत पर निविदाकर्ता से प्राप्त कर सकता है ।

xix) निविदा हेतु किसी भी तरह की जानकारी के लिए मेल आई0ई0डी0 itcellddn@itbp.gov.in पर सम्पर्क करें।

उप महानिरीक्षक(देहरादून)

उप महानिरीक्षक, भा0ति0सी0 पुलिस
Dy. Inspector General ITB Police
गृह मंत्रालय भारत सरकार
(MHA) Govt. of India
सीमाद्वार, देहरादून (उत्तराखण्ड)
Seemadwar, Dehradun (Ukd.)